

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक/523/202206200900049/अ-82/भू-अर्जन/2021-22

कोण्डागांव, दिनांक 16/02/2024

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	कोण्डागांव	तोतर	02	0.050 हे०	आदनार-तोतर मार्ग के कि०मी० 1/6 भंवरडीग नदी पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में आने वाले ग्राम-तोतर की निजी भूमि हेतु

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23/02/2024 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन तोतर पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	आदनार-तोतर मार्ग के कि०मी० 1/6 भंवरडीग नदी पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में आने वाले ग्राम-तोतर की निजी भूमि हेतु
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	02
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हाँ 0.050 हेक्टेयर
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	हाँ
आठ	परियोजना का कुल लागत	1088.81 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	प्रस्तावित सेतु निर्माण के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय आने-जाने हेतु वर्ष पर्यन्त आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
दस	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो तो वह विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(कुणाल दुदावत)

कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग